न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 198/2018

वादी :-

1. नारायणराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति-मेघवाल निवासी-उचियाड़ा ,तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादी

1. सजनाई बेवा भंवरलाल
2. सुरेश पुत्र भंवरलाल
3. मनोहर पुत्र भंवरलाल
4. पुरखाराम पुत्र नवलाराम फौत के का0मु0

4/1 कालुराम पुत्र पुरखाराम फौत के का0मु0

4/1/1 शांतिदेवी पत्नी कालूराम

4/1/2 प्रेम पुत्र कालूराम

4/1/3 शोभा पुत्री कालूराम

4/1/4 धीरेन्द्र पुत्र कालूराम

जातियान-मेघवाल

निवासीगण-उचियाड़ा तहसील-बिलाड़ा जिला-जोधपुर राज0।

5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

तारीख रजू:.23/07/2018

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री राजुनाथ चौलावत, अधिवकता प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉक :- 13/08/2018

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा- पाटवा पटवार हल्का पाटवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षै0 जैतारण में वादी नारायणलाल पुत्र ढगलाराम के पिता ढगलाराम के द्वारा खरीद सुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है जिसमें वारी मय परिवार के काबिज काश्त चला आ रहा है। वृक्षावली अनुसार वर्णित सम्पति केवल मात्र वादी के पिता की होने से सम्पति वादी को ही प्राप्त होनी थी जब वर्णित वंशावली में प्रतिवादी किसी प्रकार से कोई रक्त सम्बन्ध नहीं रखते। विवादित आराजी में वादी के पिता की खरीद व कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है। तथा वादी ही काबिज काश्त रहा है तथा वादी के पिता ही इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गलती से एवं बतौर रोंग एन्ट्री के वादी के पिता के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1098 दिनांक 30/04/1989 को पारित करते वक्त गलती से प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत 4/1/5 तक पिता का नाम भंवरलाल पुत्र बालुराम, पुरखाराम पुत्र नवलाराम का नाम इन्द्राज हो गया। इस पर कई बार वादी

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि उक्त गलत इन्द्राज को दुरस्त कराने का निवेदन किया जिस पर भंवरलाल व पुरखाराम ने उक्त गलती सहमति से सुधार करवाने बाबत का प्रयास किया एवं विश्वास दिलाते रहे कि उक्त रेकर्ड दुरूस्त करवा देंगे तथा तुम्हारे नाम करवा देगे। लेकिन इस दरमियान भंवरलाल का देहान्त हो गया तथा इस रोंग एन्टी के आधार पर ही भंवरलाल के फौतेदगी म्युटेशन संख्या 1437 दिनांक 05/06/1998 को बिना तथ्यों की जांच के प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज कर दिया जिस पर प्रतिवादीगण की नियत बद्व हो गये लेकिन जब इसकी जानकारी वादी को हुई तो प्रतिवादीगण ने भी सुधार करवाने का कथन किया तथा पुरखाराम का देहान्त हो चुका था जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4/1 से 4/5 तक है जो भी सुधार के लिए उसने निवेदन करने पर कानूनी प्रकिया द्वारा सुधरवाने का कथन किया इसलिए वादी के अधिकारों से उक्त रोंग एन्टी को हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से एवं उक्त रेकर्ड को दुरूस्त किया जाना इस स्तर पर न्यायहित में होने से एवं वादी इस भूमि में अपने नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के बाबत घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 तथा 04 के कायम मुकाम उक्त खसरान भूमि का राजस्व रेकर्ड अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठने के लिये नियत बद्व हो चुके है एवं मौका पाकर बिना वादी को पता चले उक्त सम्पति को अवैधानिक तरीके से दलालों एवं भू माफियों के चक्कर में आकर रहन बेचान बक्सीस एवं अन्य हस्तान्तरण करने का आतूर है तथा दिनांक 05/07/2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को कथन किया कि कानूनी प्रकिया से उक्त सम्पति अपने नाम कर लो अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकता है जबकि कानूनन उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी यदि प्रतिवादीगण ऐसा अवैधानिक कृतय कर देते है तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी। तथा वादी ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे मौके पर विवाद होगे तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी अपने जायज हक अधिकारों के तहत उक्त भूमि को जरिये रहन बैचान बक्सीस अन्य हस्तांतरण एवं मौके पर खूर्द-बुर्द एवं कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करने से रूकवाने का अधिकारी होने के कारण एवं अपने नाम की घोषणा करवाने तक वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण के श्रीमान के समक्ष पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 05/07/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि को कानूनी प्रकिया द्वारा सुधरवाने का एलानिया कथन करने एवं मौके पर खूर्द-बुर्द करने एवं दखलन्दाजी पैदा करने, उक्त सम्पति को रहन बैचान बक्सीस अन्य हस्तांतरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम पाटवा तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान के न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अन्दर मियाद वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से वकील राजुनाथ चौलावत ने वकालतनामा एवं ईकबालिया जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने राजीनमा प्रस्तुत किया। राजीनामा में व्यक्त किया कि सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का- पाटवा तहसील-जैतारण जिला-पाली राज में वादी नारायणराम पुत्र ढगलाराम के पिता द्वारा खरीद सुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 31

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रकबा 13 बीघा आई हुई है। जिसमें वक्त फौतेदगी नामान्तकरण ढगलाराम के फौत होने पर मानवीय भूल एवं गलती वंश भंवरलाल व पुरखाराम का नाम भी फौतेदगी म्युटेशन में दर्ज हो गया था। तथा नामान्तकरण संख्या 1098 दिनांक 30-04-1989 पारित किया जो एक रोंग एन्ट्री एवं मानवीय भूल है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है उसके बाद नामान्तकरण संख्या 1437 दिनांक 05/06/1998 को भंवरलाल के फौत होने पर उनके वारिसानों के नाम दर्ज कर लिया जो खारिज किया जाना आवश्यक होने से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी पक्षकारों ने भवंरलाल व पुरखाराम के वारिसान बतौर कायम मुकाम प्रतिवादी होने से अपने पिता के नाम की एन्ट्री को हटवाये जाने के समर्थन में राजीनामा कर लिया है उक्त रोंग एन्ट्री व रेकर्ड सुधारवाने के सम्बन्ध में पक्षकारान आपस में राजी हो चुके है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को मय इस्तदुआ जरिये राजीनामा के निर्णित किये जाने के सम्बन्ध में पक्षकारान द्वारा राजीनामा श्रीमान के समक्ष पेश है। बाद राजीनमा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं इकबालिया जवाबदावा तथा राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी के पिता द्वारा उक्त आराजी खरीद की गई व अपने नाम अमल-दरामद होकर कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादी के पिता के देहान्त होने पर नामन्तकरण संख्या- 1098 दिनांक 30.04.1989 दर्ज करते समय भंवरलाल पुत्र बालूराम व पूरखाराम पुत्र नवलाराम का नाम भी वादी के साथ दर्ज हो गया। वर्तमान में भंवरलाल पुत्र बालूराम व पूरखाराम पुत्र नवलाराम के वारिसान के नाम दर्ज हैं जो एक रोंग एन्ट्री है इस बाबत् पक्षकारान ने राजीनामा भी प्रस्तुत किया है। लिहाजा माफिक राजीनामा सरहद मौजा-पाटवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दोयम में दर्ज नाम वादी नारायणराम के साथ प्रतिवादी संख्या- 01 से 04 के नाम को हटाया जाकर उक्त आराजी में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा-पाटवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम को उक्त आराजी से हटाया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/08/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner